

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / 12575-77 / 2020-21 दिनांक 21-3-2021  
प्रबन्धक,

जे०बी०जी०इण्टरनेशनल स्कूल,  
चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद,  
जनपद बुलन्दशहर।

विषय:- वर्ष 2020-21 में अशासकीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदत्त 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता के उपरान्त, आर०टी०ई०-2009 के अनुसार विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने पर स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या: 89/अरसट-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 196 / अरसट-03-2020-2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग-03 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र-पत्रावली के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त, मान्यता की शर्तें पूर्ण पाये जाने एवं उनकी संस्तुति पर, जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 15.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक/मान्यता/13236-38/2020-21 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु जे०बी०जी०इण्टरनेशनल स्कूल, चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, को नर्सरी से कक्षा 05 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

आपके पत्र दिनांक शून्य एवं शपथ पत्र दिनांक 09.03.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या: बेसिक/मान्यता/11483/2020-21 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद से उक्त विद्यालय का परीक्षण कराया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद ने अपने निरीक्षण दिनांक 20.03.2021 के द्वारा उक्त विद्यालय के स्थलीय परीक्षण उपरान्त, आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जिसमें स्पष्ट किया गया कि जे०बी०जी० इण्टरनेशनल स्कूल, चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, द्वारा शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 (आर०टी०ई०-2009) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण कर ली गयी है और विद्यालय नियमित रूप से संचालित है तथा उनके स्तर से उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की संस्तुति की गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक शून्य तथा शपथ पत्र दिनांक 09.03.2021 और खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20.03.2021 के क्रम में, जे०बी०जी० इण्टरनेशनल स्कूल दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में विभागीय नियमों के विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो प्रदान की गयी स्थायी मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अखण्ड प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।

पृ०सं०- बेसिक / मान्यता / / 2020-21 तद दिनांक  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) मेरठ मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर।

पत्रांक: बेसिक / मान्यता / 12575-77 / 2020-21 दिनांक 21-3-2021  
प्रबन्धक,

जे0बी0जी0इण्टरनेशनल स्कूल,  
चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद,  
जनपद बुलन्दशहर।

विषय:- वर्ष 2020-21 में अशासकीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रदत्त 1 वर्ष की अस्थायी मान्यता के उपरान्त, आर0टी0ई0-2009 के अनुसार विद्यालय नियमित रूप से संचालित होने पर स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, के शासनादेश संख्या: 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 एवं शासनादेश संख्या: 196 / अडसठ-03-2020-2041 / 2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग-03 दिनांक 29.06.2019 के अनुपालन में, आपके द्वारा प्रस्तुत मान्यता आवेदन पत्र-पत्रावली के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय निरीक्षण उपरान्त, मान्यता की शर्तें पूर्ण पाये जाने एवं उनकी संस्तुति पर, जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 15.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या बेसिक/मान्यता/13236-38/2020-21 दिनांक 19.02.2020 के द्वारा दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु जे0बी0जी0इण्टरनेशनल स्कूल, चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, को नर्सरी से कक्षा 05 तक की अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी।

आपके पत्र दिनांक शून्य एवं शपथ पत्र दिनांक 09.03.2021 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या: बेसिक/मान्यता/11483/ 2020-21 दिनांक 08.03.2021 के द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद से उक्त विद्यालय का परीक्षण कराया गया।

खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद ने अपने निरीक्षण दिनांक 20.03.2021 के द्वारा उक्त विद्यालय के स्थलीय परीक्षण उपरान्त, आख्या अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध करायी जिसमें स्पष्ट किया गया कि जे0बी0जी0 इण्टरनेशनल स्कूल, चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आर0टी0ई0-2009) के अनुसार सभी शर्तें पूर्ण कर ली गयी है और विद्यालय नियमित रूप से संचालित है तथा उनके स्तर से उक्त विद्यालय को स्थायी मान्यता की संस्तुति की गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक शून्य तथा शपथ पत्र दिनांक 09.03.2021 और खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद की आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20.03.2021 के क्रम में, जे0बी0जी0 इण्टरनेशनल स्कूल चांदौक दोराहा, विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद, को स्थायी मान्यता प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में विभागीय नियमों के विपरीत तथ्य प्रकाश में आते हैं तो प्रदान की गयी स्थायी मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(अखण्ड प्रताप सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।

पृ0सं0- बेसिक / मान्यता / / 2020-21 तद् दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) मेरठ मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास क्षेत्र जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बुलन्दशहर।